समक्ष - के.एस. गरेवाल, जे.

ओम प्रकाश और अन्य - अपीलकर्ता

बनाम

राज्य का राज्य हरियाणा – प्रतिवादी

सीआरएल. ए. संख्या 17/एस बी ऑफ़ 1993
23 फरवरी 2004

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 436 - प्रक्रिया सर्वर के खिलाफ न्यायिक फाइलों में आग लगाने का आरोप– घटना के दिन काम का निलंबन – शराब के नशे में ड्यूटी के घंटों के बाद भी कोर्ट परिसर साइट पर प्रक्रिया (प्रोसेस) सर्वर की बिन-कारण की उपस्थिति–जिम्मेदार न्यायाधीशों और न्यायालय के अधिकारियों के साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि अपीलकर्ताओं द्वारा hi न्यायिक फाइलों में आग लगाई गई– अपील खारिज कर दी गई, अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने और सजा देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश की पुष्टि की गई और साथ ही न्यायिक अधिकारियों/कर्मचारियों को दिशानिर्देश /निदेश जारी किए ताकि न्यायालयों को भविष्य में इस तरह की घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके।

अभिनिर्णित -, जिम्मेदार न्यायाधीशों के साक्ष्य से और अदालत के अधिकारियों के आधार से यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि न्यायिक फाइलों में आग अपीलकर्ताओं द्वारा लगाई गई

थी। वह तीनों अदालत परिसर पर कोर्ट ड्यूटी के खतम होने के घंटों बाद भी मौजूद थे, हालांकि उस दिन काम निलंबित किया गया था और प्रक्रिया (प्रोसेस) सर्वर का अदालत परिसर में बने रहने का कोई कारण नहीं था। आग लगने के बाद मदन मोहन और पुष्कर दुबारा उन तीनों को देखा गया लेकिन वह भाग निकले। उन तीनों ने शराब पी रखी थी जो एक बार फिर उनके कार्य स्थल, उनके लापरवाह और अनुशासनहीनता का व्यवहार के प्रति उनके रवैये को इंगित करता है। (पैरा 17)

इसके अलावा निर्धारित किया गया, न्यायिक विभाग के हर अधिकारी को कोर्ट परिसर को एक पवित्र स्थान के रूप में मानना चाहिए जहां आम आदमी निवारण और राहत पाने के लिए आता है। अधीनस्थ न्यायालय, प्रथम न्यायालय है जहां नागरिक पहली बार न्यायिक प्रक्रिया के संपर्क में आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय, न्याय प्रशासन के बोझ से भरी हैं। न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने कर्तव्य को जिम्मेदार तरीके से, अत्यंत गंभीरता और तिरस्कार के साथ निभाने के लिए बचनवद्द है। जो चित्र उभरता है इस मामले से वो यह है कि घटना की तारीख को काम निलंबित कर दिया गया था लेकिन कोर्ट के कमरे बंद नहीं थे। अधिकारियों ने अपने बचे हुए काम को पूरा करने पर जोर दिया लेकिन कुछ कोर्ट के घंटों बाद भी वहां रुके रहे और मौका मिलते ही कोर्ट परिसर में शराब पीने लग गए। बेशक, अपीलकर्ताओं पर शराब का प्रभाव होने का कोई सबूत नहीं मिला लेकिन राम चंदर के बेयान को हल्के में नहीं

लिया जा सकता था। अदालत परिसर में शराब पीना और न्यायाधीशों की निंदा करना एक गंभीर दुष्कर्म है। इन अपीलकर्ताओं ने साथ ही अदालत के रिकार्ड को आग लगाया।

(पैरा 19)

इसके अलावा निर्धारित किया गया, नियंत्रण के तरीकों में से एक हो सकता है कि वर्ग-IV कर्मचारियों को वर्दी में उचित नाम टैग के साथ ड्यूटी में भाग लेने की आवश्यकता है। न्यायाधीशों को यह भी आग्रह करना चाहिए कि काम करने वाले अधिकारी जो उनके अधीन ड्यूटी पर मौज़ूद रहते हैं, वह अदालत के घंटों के बाद परिसर में न रहे केवल जिनका जरूरी काम पूरा न हुआ हो वो ही रुके। कोर्ट के कुछ अधिकारी दीर्घकालिक अशांति बनाने वाले हैं। ये व्यक्तियों को पहचाना जाना चाहिए और सत्र प्रभाग के बाहर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। सत्र प्रभाग से बाहर स्थानांतरण के बारे में सेवा नियमों में उपयुक्त प्रावधान पेश किए जाने चाहिए। धूम्रपान संबंधित घटनाओं को होने से रोकने के लिए सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कोर्ट रूम में प्रभावी अग्निशमन उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए। अहलामाद के कमरे, रिकॉर्ड कमरे आदि जहां भी न्यायिक फाइलें / रिकॉर्ड रखा गया हो, फायर अलार्म सिस्टम की सुविधा को आवश्यकता के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए।

(पैरा 21)

इसके अलावा निर्धारित किया गया, सभी कर्मचारियों को पेशेवर प्रशिक्षण के क्रम में उनमें एक भावना पैदा करने के लिए व्यावसायिकता और उत्साह से कड़ी मेहनत करने के लिए अनिवार्य रूप से गुजरना चाहिए। अंत में, सभी अदालतों को सूचना प्रौद्योगिकी पर स्विच करना चाहिए और कागज रहित तरीका से काम करना चाहिए। सभी न्यायालयों को ई-कोर्ट्स में बदलने के लिए समय बाध्य कार्यक्रम रखने चाहिए और उच्च न्यायालय को इस नीति के स्तर को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

(पैरा 22)

सीनियर. एडवोकेट के.के. अग्रवाल, एडवोकेट कपिल अग्रवाल के साथ -वकील
अपीलकर्ताओं के लिए
संदीप, एएजी, हरियाणा - प्रतिवादी के लिए

निर्णय

के.एस.गरेवाल, जे.

(1) रेवाडी में वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश के अधीन प्रोसेस सर्वर ओम प्रकाश, सुभाष और राम सिंह पर कुछ न्यायिक रिकॉर्ड में आग लगाने का मुकदमा चलाया गया। इन तीनों को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रेवाडी द्वारा 7 जनवरी, 1993 को धारा 436 आई.पी.सी. के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। और तीन साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई

गई, 500-500 रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। व्यथित होकर आरोपी अपीलकर्ता अपील में आये हैं।

(2) 22 मई, 1991 को लगभग 2.30 बजे के करीब, राम चंदर (PW 5) रेवाड़ी में कोर्ट परिसर में ड्यूटी पर तहत चौकीदार ने परिसर में तीन अपीलकर्ताओं को एक चाय स्टाल की ओर जाते देखा। बाद में शाम 7 बजे जब राम चंदर कोर्ट परिसर में लोटा तो उन्होंने देखा कि सभी तीन अपीलकर्ता वकीलों की बेंच पर बैठे हुए थे और रेवाड़ी के न्यायाधीश को गाली दे रहे थे। अपीलकर्ता राम सिंह ने कहा कि वह मध्य न्यायालय में फाइलों को आग लगा देगा (कोर्ट ऑफ श्री आर.एन. भारती (PW 9), अधीनस्थ न्यायाधीश, रेवाडी)। राम चंदर ने पहले इसे गंभीरता से नहीं लिया लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद इस पर गंभीरता से पुनर्विचार किया और न्यायालय की ओर बढ़ गया। कोर्ट में उसने मेज पर जलती हुई फाइलों का एक बंडल देखा। राम चंदर ने आग को बुझाया, कोर्ट रूम को बंद कर दिया और मामले की सूचना श्री बी.पी. जिंदल, तत्कालीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रेवाड़ी को दी। श्री. जिंदल ने राम चंदर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करने के लिए कहा परंतु जब राम चंदर सी.जे.एम. के निवास पर गया, तो न्यायाधीश उनके निवास पर उपलब्ध नहीं पाए गए। इसके बाद, राम चंदर और सी.जे.एम. के चपरासी पुष्कर (PW10) कोर्ट बिल्डिंग में आए और जहां वे कोर्ट के दो स्टेनोग्राफरों अर्थात् भारत भूषण और मदन मोहन (PW6) से मिले। राम चंदर ने अपीलकर्ताओं को इन दो व्यक्तियों की देखरेख में छोड़ दिया और

मामले की सूचना श्री पी.एल. आहूजा (PW7), रेवाड़ी में वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश और श्री आर.एन. भारती (PW9) को दी। इसके बाद, वह कोर्ट में लौट आया। सरवशरी बी.पी. जिंदल, पी.एल. अहुजा और आर.एन. भारती भी कोर्ट पहुंच गए। राम चंदर ने एक शिकायत का मसौदा तैयार किया और उसे वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश को सौंप दिया और उनसे सीखा न्यायाधीश के आदेश तहत पुलिस में शिकायत कर दी। इस प्रकार राम चंदर ने पी.एस. रेवरी के सी ईश्वर सिंह (PW12) के साथ शिकायत दर्ज कर दी गई। इसके आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई और जांच शुरू कर दी गई।

(3) मौके पर जांच अधिकारी ने रीडर सत नारायण से, स्टेनोग्राफर मदन मोहन (PW6), श्री आर.एन. भारती और. श्री पी.एल. आहूजा से मुलाकात की। उनकी उपस्थिति में घटना स्थल की योजना तैयार की गई। जांच अधिकारी ने गवाहों का बयान दर्ज किया। इस स्थान पर जली हुई फाइलों की फोटो और राख को कब्जे में ले लिया गया।

(4) अगले दिन जांच अधिकारी ने न्यायालय के पाठक का बयान दर्ज किया और तीनों अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद अपीलकर्ता को परीक्षण के लिए भेजा गया। ट्रायल चार्ज के तहत उनके खिलाफ धारा 436, 427 और 510 आई. पी. सी. लगाई गई जिसके लिए उन्होंने दोषी नहीं होने की दलील दी और ट्रायल में जाने का दावा किया। अभियोजन पक्ष द्वारा मुख्य गवाहों सतीश चौहान (PW3), नजीर विजय कुमार (PW4), राम थे चंदर (पीडब्ल्यू). 5),

स्टेनोग्राफर मदन मोहन (PW6), श्री पी.एल. अहुजा (PW7), कॉपीिस्ट मोर्डहज (PW8), श्री आर.एन. भारती (PW 9), चपरासी पुष्कर (पीडब्लू 11) और एस.आई. ईश्वर सिंह (PW12) की जांच की गई।

(5) जब अपीलकर्ताओं को शपथ के बिना धारा 313 सी.आर. पी.सी. के तहत जांच की गई तो उन्होंने निवेदन किया कि मामला झूठा है। कथित घटना की तारीख को राजीव गांधी की मृत्यु के कारण न्यायालयों को बंद कर दिया गया था और कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। उन्होंने वे भी निवेदन किया कि राम चंदर उनके प्रति अयोग्य है क्योंकि दो महीनों पहले हुई आग की घटना में उसे एक स्वीपर के साथ समझौता करते हुए देखा गया था। जब डिफेंस को प्रवेश करने का आह्वान किया, अपीलकर्ताओं के ड्राफ्ट नंद लाल (DW 1) की जांच की और मामले को बंद कर दिया।

(6) सीखा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष किया कि अपीलकर्ता धारा 436 आई.पी.सी. के तहत दोषी हैं लेकिन धारा 510 आई.पी.सी के तहत आरोप का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। चूंकि अपीलकर्ता को उपरोक्त अनुभाग के तहत दोषी ठहराया गया था, धारा 427 आई.पी.सी के तहत कोई अलग सजा दर्ज नहीं किया गया था।

(7) अपीलकर्ताओं के विद्वत् अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर निर्भर करता है। अदालत परिसर में मामले के अपीलकर्ताओं की उपस्थिति की संभावना बहुत कम थी क्योंकि प्रधानमंत्री राजीव गांधी

की मृत्यु के कारण अदालत बंद थी। राम चंदर अदालत परिसर में उपस्थित होने के लिए कर्तव्य परायण किया गया था और उसने अदालत के कमरे को ताला लगा दिया था। यह असंभव था कि अपीलकर्ता यह जानते हुए भी कि उनकी उपस्थिति उनके खिलाफ ली जा सकती है, दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक अदालत में बैठे रहेंगे। राम चंदर का संस्करण असंबद्ध और अत्यधिक था। उसके बयानों में भौतिक विरोधाभास था। अंतिम रूप से यह दिखाई दिया कि राम चंदर चौकीदार को धूम्रपान की आदत थी और वह आग लगने का कारण बनी।

(8) इस मामले में मुख्य गवाह राम चंदर (PW 5) है। यह वह गवाह था जिसने परिसर में अपीलकर्ताओं को 2.30 बजे के करीब अपीलकर्ता और प्रताप जो एक चाय विक्रेता था उसके साथ आदालत से बाहर आते देखा। राम चंदर सीखा अतिरिक्त जिला न्यायधीश के निवास पर गया। वह वहां से 6.30 बजे वापिस लौटा और देखा कि तीनों अपीलकर्ता वकील की बेंच पर बैठे थे। वे पेय के प्रभाव में थे और न्यायिक अधिकारियों को गाली दे रहे थे। राम चंदर उनके पास बैठ गया। अपीलकर्ता राम सिंह ने कहा कि वह मध्य न्यायालय में फाइलों को आग लगा देगा (कोर्ट ऑफ श्री आर.एन. भारती (PW9), अधीनस्थ न्यायाधीश, रेवरी)। राम चंदर ने पहले इसे गंभीरता से नहीं लिया लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद इस पर गंभीरता से पुनर्विचार किया और न्यायालय की ओर बढ़ गया। कोर्ट में उसने मेज पर जलती हुई फाइलों का एक बंडल देखा। इसके बाद, उसने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और पुलिस को मामला बताया गया। राम चंदर स्पष्ट था

कि जब वे सी.जे.एम. के निवास से लौटा, वहां वह मजिस्ट्रेट के चपड़ासी पुष्कर से जुड़ गया और कोर्ट परिसर में वे भारत भूषण और मदन मोहन (PW6) से मिला। उसने अपीलकर्ताओं को इन व्यक्तियों की देखरेख में छोड़ दिया और वह श्री पी.एल. आहूजा और श्री आर.एन. भारती के पास गया, जिनके कोर्ट में आग का दृश्य था। राम चंदर को लंबी जिरह के अधीन किया गया। यह निर्धारित करने के लिए क्रॉस-परीक्षा के माध्यम से जाना उपयोगी किया गया कि क्या गवाह सच कह रहा था। जैसा कि राम चंदर और अपीलकर्ताओं के बीच बैठक के संबंध में, एफ.आई.आर में ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता है कि राम चंदर ने भी उनके पास एक सीट ली थी और राम सिंह ने यह फिर से दोहराया था कि वह फाइलों को आग लगा देगा। उन्होंने आगे कहा कि जब वह श्री पी.एल. आहूजा के निवास से लोटा, लगभग 15 मिनट के बाद से अपीलकर्ता न्यायालय से गायब थे। उन्हें भारत भूषण, मदन मोहन और पुष्कर द्वारा सूचित किया गया कि अपीलकर्ता रवाना हो गए। आगे क्रॉस-परीक्षा में कहा कि उसने अपीलकर्ताओं को उस दिन किसी भी समय संबंधित न्यायालय में नहीं देखा था। संबंधित न्यायालय में जिस बेंच पर अपीलकर्ता गेट के सामने बैठे थे, उस गेट या खिड़कियों से कोई धूर्मपान का धुआं नहीं निकल रहा था। गवाह ने स्वीकार किया कि उसने धूम्रपान किया और वह 1.30 बजे परिसर में पहुंच गया था। उसने इस सुझाव का खंडन किया कि उसने न्यायालय में 1.30 बजे आराम किया या उसने एक आग से जलती हुई बीड़ी फेंकी।

(9) राम चंदर का बयान सत्यता का पात्र है, अन्य गवाहों ने जो कहा उसके आधार पर परीक्षण किया गया। न्यायालय पाठक, सतीश चौहान (PW3) ने गवाही दी कि उन्होंने इस पर अगले दिन के लिए कारण सूची को तैयार किया और सभी फाइलों को डायस पर रखा और 1.30 बजे चला गया। जब वह 23 मई को लौटा तो उसने देखा कि कुछ फाइलें डायस पर जली हुई थी। फतेह बनाम चिरंजी से संबंधित फाइल पूरी तरह से जली हुई थी। मामले के रिमांड पेपर राज्य बनाम धर्मपाल और राज्य बनाम दिवाना भी पूरी तरह से जले हुए थे। 23 फाइलें आधा जली हुई मिली।

(10) नजीर विजय कुमार (PW4) के अनुसार, राम चंदर 22 मई को ड्यूटी पर था और कोर्ट के घंटों के बाद उसकी ड्यूटी शुरू हुई। न्यायालय के दोबारा खुलने तक उसका ड्यूटी पर रहना आवश्यक था। स्टेनोग्राफर मदन मोहन (PW6) ने गवाही दी कि घटना वाले दिन वह अपना काम खत्म करने के बाद कोर्ट ऑफ लर्नड एडिशनल जिला न्यायाधीश के बाहर खड़ा था जब उसकी मुलाकात भारत भूषण से हुई। उन्होंने राम चंदर को इमारत के तरफ से आते देखा। राम चंदर ने उन्हें सूचित किया कि श्री. आर.एन. भारती न्यायालय में कुछ न्यायिक फाइलों को आग लगा दी गई थी और राम चंदर ने इस पर अपीलकर्ता का व्यक्तियों के रूप में नाम रखा जिन्होंने फाइलों को आग लगा दी थी। राम चंदर सी.जे.एम. के निवास की ओर भागा और चपड़ासी पुष्कर के साथ लौट आया। वे सभी कोर्ट बिल्डिंग में गए और तीनों आरोपी को कोर्ट बिल्डिंग के कुछ दूरी पर बैठे देखा। जब वो अदालत में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि कुछ फाइलें जली हुई थी। राम

चंदर ने वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश और श्री आर.एन. भारती जो मौके पहुंचे थे उन्हें सूचित किया। हालांकि, गवाह यह नहीं बता सके कि आरोपी वहां बैठे थे या नहीं। जिरह में गवाह ने गवाही दी कि जब वह श्री आर. एन.भारती के कोर्ट में आया तो उसने अपीलकर्ताओं को एडवोकेट रिशल सिंह की बेंच के पास कुछ दूरी पर बैठे देखा जो कि कोर्ट रूम से लगभग 25 पेस पर था। राम चंदर ने उन्हें यह कहते हुए छोड़ दिया था कि उन्हें नजर रखनी चाहिए (खियाल रखना) लेकिन उसने विशेष रूप से उन्हें अपीलकर्ताओं पर नजर रखने के लिए नहीं कहा।

(11) वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश और न्यायाधीश जिनके न्यायालय में यह घटना हुई थी उनके बयान महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे जिम्मेदार न्यायिक अधिकारी हैं जिनसे सच्चाई बताने की उम्मीद की जाती है। श्री के अनुसार पी.एल. अहुजा (PW7) के अनुसार उन्हें लगभग 7.30 पर राम चंदर द्वारा सूचित किया गया था कि अपीलकर्ताओं ने कुछ न्यायिक फाइलों को आग लगा दी है। वह निवास से बाहर आया और श्री आर.एन.भारती से मिला (PW.9)। उन्होंने तब श्री बी.पी. जिंदल, ए.डी.जे. रेवाड़ी को सूचित किया और सभी अदालत में आए जहां उन्हें कुछ जली हुई फाइलें मिली। श्री. अहुजा के कहने पर, राम चंदर ने शिकायत का मसौदा तैयार किया और इसके आधार पर मामला दर्ज किया गया।

(12) इसी तरह श्री आर.एन.भारती ने गवाही दी उन्हें राम चंदर द्वारा सूचित किया गया था कि अपीलकर्ता द्वारा हैं उसकी अदालत संबंधित फाइलों को जला दिया था।

(13) इसके अलावा, मोर्दवाज (PW8) के सबूत, कोर्ट के आपराधिक अहलमद ने गवाही दी कि वह 1 पी.एम. को कोर्ट से चला गया था और 2 पी.एम. को भोजन खाने के बाद वापिस आया। उसने 4 पी.एम. तक वहां काम किया और फिर कोर्ट से चला गया। कोर्ट के कर्मचारी अपने काम में उस दिन व्यस्त थे। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि जब वह 2 बजे वापिस आया तो कोर्ट रूम बंद नहीं था और राम चंदर वहां मौजूद था। पुष्कर (PW11) के प्रमाण भी महत्वपूर्ण हैं। इस गवाह के अनुसार वह सी.जे.एम. के निवास पर 7.30 बजे उपलब्ध था जब राम चंदर ने उनसे वहां मुलाकात की और उन्हें बताया कि तीन अपीलकर्ताओं ने कुछ न्यायिक फाइलों को आग लगा दी है। साक्षी, राम चंदर के साथ संबंधित न्यायालय में गए और देखा कि फाइलों फर्श पर आधी जली हुई थी और कुछ डायस पर आधी जली हुई पाई गई थी। उसने यह भी कहा कि जब वह कोर्ट में लौटे तो उन्होंने तीनों अपीलकर्ता को एक पेड़ के नीचे बेंच पर बैठे देखा और वे वहां से भाग गए। जिरह में उन्होंने दोहराया कि उन्होंने आरोपी को एक पेड़ के नीचे एक "तखत" पर बैठा देखा था, लेकिन यह नहीं कह सकता था कि तखत पर कौन था। उन्होंने यह भी कहा कि अपीलकर्ता चाय स्टाल की ओर चले गए।

(14) गर्मियों के महीनों के दौरान हरियाणा में कोर्ट 7 ए.एम. से 1.30 पी.एम. तक बैठते है। 22 मई को न्यायालयों का काम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए निलंबित किया गया था। इसलिए, न्यायालय के अधिकारियों को अपना काम दिन के कम से कम

10 पी.एम. तक या बहुत नवीनतम पर 1.30 बजे तक समाप्त करना चाहिए था। अदालत का काम होने के बाद चौकीदार द्वारा बंद कर दिया जाना चाहिए था या उसके कुछ घंटों के बाद निलंबित किया जाना था। ऐसा क्यों नहीं किया गया, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि 22 मई को न्यायालय हमेशा की तरह खुले रहे, हालांकि कोई न्यायिक व्यवसाय नहीं किया गया और जज कोर्ट में नहीं बैठे थे।

(15) जैसा कि हो सकता है, तीनों अपीलकर्ता, जो प्रक्रिया सर्वर थे, उनके पास परिसर में उपस्थित होने का कोई कारण नहीं था। 1.30 बजे के बाद भी राम चंदर उन्हें अदालत परिसर में 2.30 पी.एम. और फिर 6.30 पी.एम. पर मिला उस समय तक वे शराब के प्रभाव में आ गए थे। वे न्यायाधीशों की निंदा करते हुए दिखे और राम चंदर ने राम सिंह अपीलकर्ता को यह घोषणा करते हुए भी सुना कि वह मध्य न्यायालय में फाइलों के सेट को आग लगा देगा। राम चंदर को विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या सुना है, जिसमें राम सिंह ने जो कहा उसे फिर से दोहराया। जब राम चंदर अदालत में आया उसने वहां फाइलों को जलते हुए देखा। राम चंदर आग बुझाई और कोर्ट रूम को बंद कर दिया और मामले की सूचना दी।

(16) यह अक्षम्य है कि न्यायालय 6.30 बजे तक क्यों खुला था। जब कि उस दिन काम को निलंबित कर दिया गया था और कोई न्यायिक व्यवसाय नहीं किया गया था। राम चंदर के पास इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि उसने अदालत के कमरों को बंद क्यों नहीं किया था जो

कि उसका कर्तव्य था। हालांकि, राम चंदर ने न्यायिक अधिकारी को इस बारे में सूचित किया कि उसने क्या सुना और देखा था। राम चंदर द्वारा मदन मोहन (PW) को दी गई जानकारी के अनुसार. 6), श्री. पी.एल. अहुजा (PW 7), श्री. आर.एन. भारती (PW9) और पुष्कर (PW10) गवाहों द्वारा पूरी तरह से पुष्टि की गई थी कि आग अपीलकर्ताओं द्वारा लगाई गई थी । वास्तव में, पुष्कर (PW11) ने गवाही दी थी कि जब वह राम चंदर के साथ कोर्ट में वापस लौटा तो उसने तीन अपीलकर्ताओं को पेड़ के नीचे बेंच पर बैठे देखा। इसकी पुष्टि मदन मोहन (PW6) ने जिरह में भी की थी।

(17) न्यायाधीश और न्यायालय के अधिकारी के साक्ष्य की उपरोक्त चर्चा से, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं द्वारा न्यायिक फाइलों में आग लगाई गई थी। राम सिंह अपीलकर्ता को राम चंदर ने यह दो बार दोहराया सुना। अन्य अपीलकर्ता ने राम चंदर को उनकी भागीदारी के बारे में कुछ नहीं कहा था। वह तीनों ड्यूटी के बाद भी अदालत परिसर में घंटों बाद भी मौजूद थे हालांकि उस दिन काम को निलंबित कर दिया गया था और प्रोसेस सर्वर का परिसर में बने रहने का कोई कारण नहीं था। उन तीनों के आग लगाने के बाद मदन मोहन और पुष्कर द्वारा वह देखे गए लेकिन वह वहां से रवाना हो गए थे। उन तीनों का शराब पीना एक बार फिर उनके काम स्थान के प्रति, उनका लापरवाह और अनुशासनहीन व्यवहार रवैये को दर्शाता है।

(18) यह एक साधारण आग नहीं थी, बल्कि न्यायिक रिकॉर्ड को नष्ट करने के इरादे से आग को जलाया गया था। अगर समय रहते आग बुझाई नहीं गई होती तो यह बहुत अधिक रिकॉर्ड की खपत हो सकती थी और न्यायालय इमारत को भी नुकसान हो सकता था। ऐसे आगजनी करने वाले सजा में किसी भी तरह की नरमी के पात्र नहीं हैं।

(19) इस फैसले के निष्कर्ष पर यह देखते हुए कोई भी मदद नहीं कर सकता कि न्यायिक विभाग के प्रत्येक अधिकारी को कोर्ट परिसर को एक पवित्र स्थान के रूप में मानना चाहिए, जहां आम आदमी निवारण और राहत पाने के लिए आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय, प्रथम दृष्टया न्यायालय है जहां नागरिक पहली बार न्यायिक प्रक्रिया संपर्क में आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय, न्याय प्रशासन के बोझ से भरी हैं। न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने कर्तव्य को जिम्मेदार तरीके से, अत्यंत गंभीरता और तिरस्कार के साथ निभाए। इस मामले से उभरता हुए चित्र यह है कि घटना की तारीख को काम निलंबित कर दिया गया था लेकिन कोर्ट के कमरे बंद नहीं थे। अधिकारियों ने अपने बचे हुए काम को पूरा करने पर जोर दिया लेकिन कुछ कोर्ट के घंटों के बाद भी वहां रुके रहे और मौका मिलते ही कोर्ट परिसर में शराब पीने लग गए। बेशक, अपीलकर्ताओं पर शराब का प्रभाव होने का कोई सबूत नहीं मिला लेकिन राम चंदर के बेयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। अदालत परिसर में शराब पीना और न्यायाधीशों

की निंदा करना एक गंभीर दुष्कर्म है। इन अपीलकर्ताओं ने साथ ही अदालत के रिकार्ड को आग लगा दी थी।

(20) राम चंदर चौकीदार भी दोष से मुक्त नहीं किया गया क्योंकि उनके पास दोपहर 2.30 बजे परिसर को अप्राप्य और खुला छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। भले ही साधारण दिनों में न्यायालय 1.30 पी.एम. तक बैठती है। लेकिन 22 मई एक असामान्य दिन था क्योंकि उस दिन काम को निलंबित कर दिया गया था। यह देखा गया है कि अदालत के अधिकारियों के बीच अस्वास्थ्यकर सांठगांठ है जैसे एक ओर रीडर्स, जजमेंट राइटर्स, स्टेनोग्राफर्स, अहलमाड्स, कॉपीराइटर और प्रोसेस सर्वर और दूसरे तरफ पर बेईमान तत्व है। यह सांठगांठ पूर्ण प्रवाह में आती है जब कोर्ट की प्रवृत्ति कोर्ट के घंटों के बाद, जुए में और शराब पीने के लिए बदल जाती है। जज आते हैं और चले जाते हैं लेकिन कोर्ट के कर्मचारी और वकील उसी स्टेशन पर पनपते रहते हैं। जब तक अधिकारियों और कर्मचारियों में अनुशासन और जिम्मेदारी की कोई भावना न हो तब तक सांठगांठ को तोड़ा नहीं जा सकता। वकील और उनके क्लर्क स्वायत्त हैं और न्यायपालिका के किसी भी वास्तविक नियंत्रण के बाहर हैं लेकिन यह अधिकारी और कर्मचारी वो है जो मौद्रिक प्रलोभन का शिकार होते हैं और अधिकतम के संरक्षण में न्याय प्रशासन को बेईमान तत्व से नुकसान करने का कारण बनते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यायाधीश इन अनहोनी प्रथाएं के बारे में अनजान हैं लेकिन जब तक न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के बेईमान तत्व से अलग करने के लिए कुछ प्रभावी

कदम नहीं उठाए जाते तब तक यह अपवित्र सांठगांठ जारी रहेगा और न्याय का प्रशासन बहुत पीड़ित होगा।

(21) जिन तरीकों से नियंत्रण लगाया जा सकता है उनमें से एक है सभी वर्ग-IV कर्मचारियों को उचित नाम टैग के साथ वर्दी में ड्यूटी में भाग लेने की आवश्यकता है। न्यायाधीशों को यह भी आग्रह करना चाहिए कि उनके अधीन काम करने वाले अधिकारी ड्यूटी पर मौजूद रहें और अदालत के घंटों के बाद परिसर में न रहें; जब तक कि तत्काल काम पूरा न हो जाए। कुछ अदालत के अधिकारी दीर्घकालिक मुसीबत बनाने वाले हैं। इन आक्रमणकारियों को सत्र प्रभाग से पहचाना जाए और स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उपयुक्त स्थानांतरण के संबंध में सेवा नियमों में प्रावधान पेश किए जाने चाहिए। धूम्रपान पर प्रतिबंध सख्ती से लगाया जाना चाहिए। आग की घटनाओं को होने से रोकने के लिए प्रभावी अग्निशमन उपकरण कोर्ट रूम में प्रदान किए जाने चाहिए। अहलमद के कमरे, रिकॉर्ड रूम और आदि जहां भी न्यायिक फाइलें / रिकॉर्ड रखे जाते हैं, आग अलार्म सिस्टम को भी आवश्यक रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।

(22) सभी कर्मचारियों को व्यावसायिकता की भावना पैदा करने के लिए प्रशिक्षण और कड़ी मेहनत करने के उत्साह के लिए अनिवार्य पेशेवर से गुजरना चाहिए। अंत में, सभी न्यायालयों को प्रौद्योगिकी सूचना पर स्विच करना चाहिए और कागज रहित तरीके से काम करने के लिए वायर्ड होना चाहिए। सभी न्यायालयों को ई-कोर्ट में बदलने के लिए समय बाध्य कार्यक्रम निर्धारित किया

जाना चाहिए और उच्च न्यायालय स्तर पर इस संबंध में इस नीति को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

(23) यदि उपरोक्त कदम उठाए जाए तो हम न्याय के प्रशासन का अधीनस्थ न्यायालय स्तर से पूर्ण परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। यह उन हजारों नागरिकों को खुश करेगा जो न्याय मांगने के लिए ट्रायल कोर्ट में आते हैं लेकिन उन्हें कानून की देरी या उससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना कर के वापस निराश और खाली हाथ लौटना पड़ता है।

(24) उपरोक्त के परिणामस्वरूप, यह अपील योग्यता से रहित है और इसे खारिज कर दिया जाता है। अपीलकर्ताओं को उनके वाक्य के शेष भाग से गुजरने के लिए हिरासत में लिया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रितिज़ अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TRAINEE JUDICIAL OFFICER)

(हरियाणा)